



प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1**लखनऊ: दिनांक 08 जून, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 23 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-22221/CE-HQ1/RSN3054/GON/2026-27, दिनांक 29.05.2026, पत्र संख्या-22343/CE-HQ1/RSN3054/GON/2026-27, दिनांक 02.06.2026 एवं पत्र संख्या-22351/CE-HQ1/RSN3054/GON/2026-27, दिनांक 02.06.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 23 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल ₹0 11,06,75,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 बहराइच	कालीमिश्रपुरवा सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1,2,3	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	<u>45.49</u> <u>45.49</u> <u>35.79</u> <u>0.04</u> <u>45.45</u>	4.55	40.90	38.63
2	प्रा.ख. बहराइच	बहराइच-सीतापुर (राज्य मार्ग-30बी) मार्ग के सामान्य मरम्मत के	112/2025/आई/891760/23-1-25/001-23-1002(002)/45/2025-दिनांक-25-02-2025	<u>1290.77</u> <u>1219.22</u> <u>994.90</u> <u>31.27</u>	1099.25	88.70	88.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवृत्त धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		साथ नवीनीकरण का कार्य।		<u>1187.95</u>			
3	प्रा.ख. बहराइच	टेरी सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	664 /2025/आई/1169211/23- 1-25/003-23- 1002(002)/300/2025- दिनांक-09-12-2025	<u>86.21</u> <u>86.21</u> <u>63.06</u> <u>3.87</u> <u>82.34</u>	4.98	77.36	40.00
4	प्रा.ख. बहराइच	नानपारा गढीघाट मार्ग से इमामगंज वाया ककरहा बुधवा मार्ग विशेष मरम्मत का कार्य।	664 /2025/आई/1169211/23- 1-25/003-23- 1002(002)/300/2025- दिनांक-09-12-2025	<u>87.51</u> <u>87.51</u> <u>67.21</u> <u>2.95</u> <u>84.56</u>	30.62	53.94	40.00
5	प्रा.ख. बहराइच	जैतापुर डीहा दर्जिनबाग वाया कोदही पण्डितपुरवा सं0मार्ग कि0मी संख्या 1, 2, 3	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001- 23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>45.88</u> <u>45.88</u> <u>33.32</u> <u>0.03</u> <u>45.85</u>	4.59	41.26	30.00
6	प्रा.ख. बहराइच	गायघाट वैवाही बेलहन वाया दौलतपुर सं0मार्ग कि0मी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6(440), 7	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001- 23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>98.60</u> <u>98.60</u> <u>73.17</u> <u>0.40</u> <u>98.20</u>	9.86	88.34	79.50
7	नि.ख. बलरामपुर	बगहिया से रसूलपुर तक सम्पर्क मार्ग।	568 /2025/आई/1141505/23- 1-25/001-23- 1002(002)/300/2025- दिनांक-13-11-2025	<u>52.81</u> <u>52.81</u> <u>41.66</u> <u>0.09</u> <u>52.72</u>	18.48	34.24	31.60
8	नि.ख. बलरामपुर	कपौवा कयाम जोत लखमा मार्ग	568 /2025/आई/1141505/23- 1-25/001-23- 1002(002)/300/2025- दिनांक-13-11-2025	<u>99.27</u> <u>99.27</u> <u>76.09</u> <u>2.26</u> <u>97.01</u>	34.74	62.27	57.42
9	नि.ख. बलरामपुर	राजघाट सेखुईकला धमौली जुवाथान मार्ग	664 /2025/आई/1169211/23- 1-25/003-23- 1002(002)/300/2025- दिनांक-09-12-2025	<u>44.11</u> <u>44.11</u> <u>33.28</u> <u>0.07</u> <u>44.04</u>	15.44	28.60	26.40
10	नि.ख.-1 गोण्डा	मोतीगंज डुमरियाडीह तरबगंज मार्ग से हथिनाग खुशहालपुरवा तक सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1,2,3,4	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001- 23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>61.30</u> <u>61.30</u> <u>48.75</u> <u>0.02</u> <u>61.28</u>	6.13	55.15	52.09
11	नि.ख.-1 गोण्डा	जुझारीपुर सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1,2,3,4	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001- 23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>49.04</u> <u>49.04</u> <u>39.00</u> <u>0.02</u> <u>49.02</u>	4.90	44.12	41.67
12	नि.ख.-2 गोण्डा	गोण्डा बेलसर उमरी बेगमगंज (अ0जि0मा0) के सामान्य मरम्मत के	112/2025/आई/891760/ 23-1-25/001-23- 1002(002)/45/2025- दिनांक-25-02-2025	<u>1066.19</u> <u>1066.19</u> <u>761.13</u> <u>1.09</u> <u>1065.10</u>	885.54	179.56	107.73

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवृत्त धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		साथ नवीनीकरण का कार्य।					
13	प्रा.ख. बहराइच	गरेठी गुरुदत्त सिंह सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	287/2026/आई/1285692 /23-1-26/001-23- 1002(002)/217/2026- दिनांक-31-03-2026	<u>81.73</u> <u>81.73</u> <u>63.66</u> <u>0.06</u> <u>81.67</u>	0.25	81.42	77.34
14	नि.ख.-1 गोण्डा	प्रधानमंत्री सड़क से भुडवा होते हुए खमरिया तक सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1,2,3	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001- 23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>45.96</u> <u>45.96</u> <u>36.18</u> <u>0.40</u> <u>45.56</u>	4.60	40.96	38.68
15	नि.ख.-1 गोण्डा	रानीपुर काली स्थान से खजुवा मिश्रनपुरवा होते हुए खोदेपुर सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1,2,3,4(200)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001- 23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>49.04</u> <u>49.04</u> <u>38.92</u> <u>0.10</u> <u>48.94</u>	4.90	44.04	41.59
16	नि.ख.-1 गोण्डा	बौरिहा जेठासी स्कूल से कुडिया गांव होते हुए पिपरी रोहुवा तक सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1,2,3,4	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001- 23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>61.30</u> <u>61.30</u> <u>48.72</u> <u>0.04</u> <u>61.26</u>	6.13	55.13	52.07
17	नि.ख.-2 गोण्डा	डिकिसर सम्पर्क मार्ग धन्नीपुरवा होते हुए नयेपुरवा, तिलकपुरवा सेमरी सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1,2(800),3	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001- 23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>42.20</u> <u>42.20</u> <u>29.49</u> <u>0.12</u> <u>42.08</u>	4.22	37.86	35.76
18	नि.ख.-2 गोण्डा	भटपुरवा सम्पर्क मार्ग लोनियपुरवा सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1,2,3	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001- 23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>45.21</u> <u>45.21</u> <u>31.60</u> <u>0.11</u> <u>45.10</u>	4.52	40.58	38.33
19	प्रा.ख. गोण्डा	डुमरियागंज गौराचौकी मसकनवा कटरा अयोध्या मार्ग (अ0जि0मा0) के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	112/2025/आई/891760/ 23-1-25/001-23- 1002(002)/45/2025- दिनांक-25-02-2025	<u>1169.65</u> <u>1169.65</u> <u>845.62</u> <u>3.00</u> <u>1166.65</u>	1124.71	41.94	41.94
20	प्रा.ख. गोण्डा	डी0एम0बी0 मार्ग किमी0 54 से जिगरिया पिपरा बड़ा खॉ सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	568 /2025/आई/1141505/23- 1-25/001-23- 1002(002)/300/2025- दिनांक-13-11-2025	<u>48.38</u> <u>48.38</u> <u>35.06</u> <u>0.11</u> <u>48.27</u>	16.93	31.34	31.34

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
21	प्रा.ख. गोण्डा	एम०एम०बी०(एन०एच०. 727 जी०) मार्ग से चीनी मिल डिस्चर्री होते हुये डी०एम०बी० मार्ग तक (बाईपास) सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	30/2026/आई/1208516/ 23-1-26/001-23-1002(002)/20/2026- दिनांक-17-01-2026	<u>45.01</u> <u>45.01</u> <u>27.38</u> <u>0.07</u> <u>44.94</u>	15.75	29.19	29.19
22	प्रा.ख. गोण्डा	चन्द्रदीपघाट गौराचौकी से लिटिल फ्लावर स्कूल होते हुये गाजीपुर बलुआ तालाब से तिलखैरिया मार्ग तक सम्पर्क मार्ग कि०मी संख्या 1,2,3	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>47.26</u> <u>47.26</u> <u>36.36</u> <u>0.11</u> <u>47.15</u>	4.73	42.42	40.06
23	प्रा.ख. गोण्डा	अंधियारी जिगना मार्ग से धुसवा गांव होते हुए खैराही डिहवा गांव होते हुए जानीपुर राम प्रसाद प्राइमरी पाठशाला तक सम्पर्क मार्ग कि०मी संख्या 1,2,3,4(500)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	<u>55.14</u> <u>55.14</u> <u>33.43</u> <u>0.17</u> <u>54.97</u>	5.51	49.46	46.71
कुल योग-							1106.75

- (1) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यो के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।
- (2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जापो में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

- (4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।
- (5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।
- (6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि धनावंटन उपलब्ध बजट की सीमा के भीतर ही निर्गत किया जाए। संबंधित कार्य केवल स्वीकृत/संशोधित आगणन एवं प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुरूप ही कराए जाएं। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (UC) की शुद्धता एवं समय से उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायक इकाई की होगी।
- (9) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु0 11,06,75,000/- (रुपये ग्यारह करोड़ छः लाख पचहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-522/2026/आई/1357156(1)/23-1-26/006-23-1002(002)/274/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
- 6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
- 11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।